


अंडरटेकिंग

गरडदा नहर की प्रस्तावित परियोजना में वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु आवश्यक होगा कि -

1. जहां नहर का भाग भू कंटिंग (खुदाई) में आ रहा है अथवा प्रभावी गहराई वन्यजीवों के लिए खतरा प्रतीत हो क्षेत्र में नहर के दोनों ओर फेंसिंग की जावे।
2. वन्य जीवों के पानी पीने की व्यवस्था हेतु प्रत्येक लगभग एक किलोमीटर चेनेज अन्तराल पर वाटरहॉल का निर्माण किया जावे, जिसके लिए नहर का पानी इस्तेमाल किया जा सकें।
3. उप वन संरक्षक वन्यजीव राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण्य सवाई माधोपुर द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 2494 दिनांक 05.10.2020 से जारी भूमि उपर्युक्तता प्रमाण पत्र में ज्यूलिफ्लोरा उन्मूलन हेतु अतिरिक्त राशि 15 लाख रुपये की आवश्यकता होगी।

उपर्युक्त अतिरिक्त शर्तों पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पालना हेतु सहमति दी जाती है।

C.S.
Mim
(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)


(राजीव विजय)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन परि० खण्ड, बून्दी